

**OFFICE OF THE DIST. MAGISTRATE
DISTRICT DEHRADUN (U.K.)**

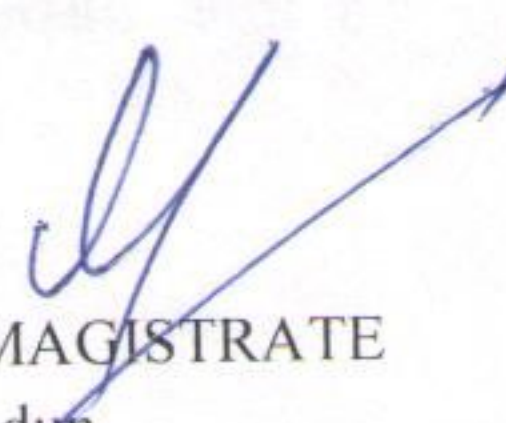
**Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule
Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.**

A meeting of the District level Committee of Dehradun District, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Chandresh Kumar**, I.A.S., District MAGISTRATE, Dehradun on 3.12.14..... at 11 am at **Dehradun** in which the application claiming rights in main area measuring 5.8695 Hect. for the construction of **Deman to Desau Motor** Road of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Kalsi** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District Level Committee recommended the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Dehradun

Date: 3.12.14


District MAGISTRATE
Dehradun

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद देहरादून

पत्रांक

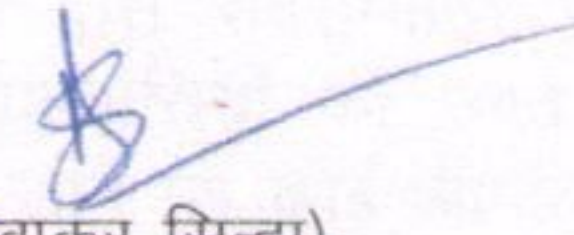
दिनांक 3.12.14

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातिय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 3.12.14..... को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दमन से दसऊ मोटर मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु 5.8695 हैक्ट० भूमि वन विभाग से ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिक कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति-कालसी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी-कालसी की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 5.8695 हैक्ट० भूमि जो कि वन विभाग के रिवर रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी-कालसी की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न हैं।


(रामअवतार सिंह)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून


(दिवाकर सिन्हा)
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
देहरादून


(चन्दरेश कुमार)
जिलाधिकारी, देहरादून

पृ०स० / डी०एल०आर०सी० / दिनांक

प्रतिलिपि:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०, हरिद्वार (मुख्यालय-कालसी)

(चन्दरेश कुमार)
जिलाधिकारी, देहरादून

Form-1
Government of Uttarakhand

OFFICE OF THE DIST. MAGISTRATE
DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Letter No.:

Date: 5/12/2014

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98FC (pl) dated 3rd August, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers (reorganization of forest rights) at 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposal read with MoEF letter dated 5th of Feb. 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it certified that 5.8695 Hect. Of forest land proposed to be diverted in favour PWD Uttarakhand for new road construction in Dehradun district falls within jurisdiction of Desna & Dima village in Kalsi Tehsil.

It is further certificated that:-

- (a). The complete process for identification and settlement of Rights under the FRA has been carried out for the entire 5.8695 Hect. of forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabhas, Sub-Division level Committee and the District level Committee(s) are enclosed at the bottom.
- (b). The division of forest land & facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c). The Proposal does not involved recognized rights of primitive tribal groups and the agricultural communities.

Date: 3.12.14

Signature

For Name and Official Seal of District Collector

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दमन से देसऊ मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तांतरण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - देसऊ

तहसील- कालसी

जिला - देहरादून।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जिला देहरादून, उत्तराखण्ड में दमन से देसऊ मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है० आरक्षित वन भूमि, ^{3.6365}~~7.9345~~ है० सिविल सोयमभूमि, ^{2.233}~~0.646~~ है० वन पंचायत भूमि है) अर्थात् कुल ^{5.8695}~~8.5505~~ है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संख्या के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत देसऊ द्वारा दिनांक 23/09/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निगत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिष्ठत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि का ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम देसऊ के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि 8.5505 है० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

✓ 
हस्ताक्षर ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ...
तहसील- कालसी देहरादून



नोट:-

यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रस्तावित हो रही है तो तदनुसार इसका विवरण उक्त प्रपत्र मंदिता जाये। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दमन से देसऊ मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तांतरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति-

उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत दमन से देसऊ मोटर मार्ग (0.00 है० आरक्षित वनभूमि, 3.6365 है० सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.2233 है० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 5.8695 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत बनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड समिति (तहसील- कालसी) की दिनांक 18/11/14 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अशोक पाण्डेय उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है-

1-	<u>अशोक पाण्डेय</u>	उपजिलाधिकारी	<u>अशोक पाण्डेय</u>	अध्यक्ष
2-	<u>श्री. की० शशिनी</u>	उप प्रभागीय वनाधिकारी	<u>श्री. की० शशिनी</u>	सदस्य
3-	<u>श्री. मि० न. लाल</u>	सहायक समाज कल्याण अधिकारी		सदस्य/सचिव
4-	<u>श्री. मो० विनो देवी</u>	बी०डी०सी० क्षे-	<u>श्री. मो० विनो देवी</u>	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि दमन से देसऊ मोटर मार्ग परियोजना हेतु 5.8695 है० भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा जायेगा। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

योजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दमन से देसऊ मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तांतरण।

दिनांक 18-11-2014 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बालसी पारिवेक के अन्तर्गत दमन से देसऊ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.8695 हेक्टेयर वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेंसी को अनादित में सक्षम प्राधिकार देकर देहादून प्रशासक के नाम पर प्रभावित भूमि जाने पर सहमति ज्ञात की गयी।

1-	Ar. De Pandey	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	
2-	अ. वि. को. देहादून	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
3-	श्री मिहिर लाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव	
4-	श्रीमती विमो देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र-	सदस्य	

विमो देवी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
विकासखण्ड- बालसी देहरा

ग्राम पंचायत दोऊ

विकासखण्ड-कालसी, जिला-देहरादून

प्रधान
बामो देवी

निवास :
ग्राम-दोऊ, ग्राम पंचायत-दोऊ
न्याय पंचायत-कोटी, जिला-देहरादून
उत्तराखण्ड, मो0 : 9816210763

पत्रांक.....

दिनांक.....

कार्यवाही सत्य प्रति लिए ग्राम पंचायत - दोऊ

प्रस्ताव सं-12

दिनांक 23/8/2014

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चुनिआ से दोऊ होते हुए देहू गेह 1 मार्ग तक सड़क निर्माण पर विचार:- मेह में सर्व सम्मति है निर्णय किया गया कि ग्राम-दोऊ आतलेहू ग्राम के बीच काज तक भी सड़क है वंचित है आवश्यकताओं को सड़क की पूर्ति होनी जनहित में आवश्यक है कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कबन सड़क के निर्माण हो उचित कार्यवाही की जाय/उक्त सड़क के निर्माण पर किसी ग्रामवासी को कोई आपात नहीं है। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित हुआ है।

नमो देवी

दिनांक 10.6.14

संख्या.....

10-8-18

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत...दोऊ
वि0 980- कालसी देहरादून



GAC
10/8/14

दिनांक 23/09/2014 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत दौऊ

क्रम सं०	ग्राम सभा में उपस्थित निम्न ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	सीताराम	सीताराम
2.	सिधाराम	सिधाराम
3.	रामसिंह	मोहन सिंह
4.	मोहन सिंह	राम मोहन
5.	किशन सिंह	किशन सिंह
6.	सरदार सिंह	सरदार सिंह
7.	साहन सिंह	साहन सिंह
8.	बलवीर सिंह	बलवीर सिंह
9.	बुद्धीराम	बुद्धीराम
10.	अमर सिंह	अमर सिंह
11.	कृपा राम	कृपाराम
12.	बलवीर सिंह	बलवीर सिंह
13.	गुलाब सिंह	गुलाब सिंह
14.	रमेश सिंह	रमेश सिंह
15.	प्रमोद सिंह	प्रमोद सिंह
16.	हसराम	हसराम
17.	केदार सिंह	केदार सिंह
18.	जीत सिंह	जीत सिंह
19.	टीकाराम	टीकाराम
20.	श्रीचन्दा	श्रीचन्दा
21.	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
22.	माथाराम	माथाराम
23.	भाव सिंह	भाव सिंह
24.	सन्तराम	सन्तराम
25.	केदार सिंह	केदार सिंह
26.	बलवीर	बलवीर
27.	चन्दन सिंह वर्मा	चन्दन सिंह वर्मा
28.	अमर सिंह	अमर सिंह
29.	राम सिंह	राम सिंह
30.	सुरेश वर्मा	सुरेश वर्मा
31.	सन्तु	सन्तु
32.	मोहन सिंह	मोहन सिंह

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत दौऊ
पिन 220- कालसी दिहरादुन

